कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

स0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-44/2016-17/

दिनांक :   /12/2016

सेवा में,

खण्ड विकास अधिकारी,

क्षेत्र पंचायत- नारसन

जिला- हरिद्वार

विषय : क्षेत्र पंचायत नारसन का वर्ष 2014-15 से वर्ष 2015-16 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग 4 (ब)-1 में **शून्य** प्रस्तर, भाग-4 (ब)-2 में **03** प्रस्तर तथा STAN मे 01 प्रस्तर है। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-4 (ब)-1 के सभी प्रस्तरों की अनुपालन आख्या सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन देहरादून एवं भाग-4 (ब)-2 के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी **(निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड)** के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: 1 प्रतिवेदन की प्रति

2 प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या- 44/2016-17/   **दिनांक: /12/2016**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।

2- निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड, सहस्त्रधारा मार्ग, आई0टी0पार्क के पास, देहरादून।

3- निदेशक, लेखापरीक्षा (आडिट) निदेशालय, द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005

4- जिला पंचायतराज अधिकारी, हरिद्वार।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

भाग-एक

वर्ष 2014-15 से 2015-16 के लिये खण्ड विकास अधिकारी, क्षे.पं.- नारसन, जनपद- हरिद्वार पर निरीक्षण प्रतिवेदन

(अ) संप्रेक्षावधि मे कार्यरत ब्लाक प्रमुख तथा खण्ड विकास अधिकारी का नाम तथा पदनाम

(i) श्री जितेंद्र कुमार - प्रमुख, क्षेत्र पंचायत

(ii) श्री सुखबीर सिंह खण्ड विकास अधिकारी (प्रभारी)

(ब) संप्रेक्षा सदस्यों के नाम तथा पदनाम

(i) श्री पी.एल.शर्मा, स.ले.प.अ.

(ii) श्री नित्यानन्द सिंह, स.ले.प.अ.

(iii) श्री सतेन्द्र कुमार, स.ले.प.अ.

(iv) श्री अशोक कुमार, व.ले.प.अ.

(स) संप्रेक्षा तिथि 16.09.2016 से 24.09.2016 तक

(द) संप्रेक्षा में आच्छादित अवधि: 2014-15 से 2015-16 तक

भाग-दो

परिचयात्मक :

1. पंचायतीराज संस्था का नाम : **ख.वि.अ. क्षे.पं.- नारसन, जनपद- हरिद्वार**

(अ) उपरोक्त यदि ज़िला पंचायत है तो क्षेत्र पंचायतो तथा ग्राम पंचायतों की संख्या हैः-

(ब) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्याः-59

भौगोलिक क्षेत्र :-- 27014 हेक्टेयर

जनसंख्या : 2,52,498

2- निर्वाचित सदस्यों की संख्या : 40

3- पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्याः 03

4- (ब) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठक की संख्या: बैठक: 06

5- कर्मचारियों की संख्या : 21

6- पंचायतराज की सम्पत्तियां : - आवासीय भवन, भूखण्ड, कार्यालय भवन

7- पंचायतराज के अपने प्रोजेक्ट : -

8- योजनाओं की संख्या :- -

9- (अ) सामाजिक संरक्षा

(ब) रोजगार सृजन से सम्बन्धित: -

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनायें:-

(द) लाभार्थियों की संख्या:

10- वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि :

11- वर्ष के दौरान कुल व्यय : आय -व्यय विवरण के अनुसार

(अ) सामान्यः -

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाये) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये।

12- क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया है-

भाग-4 (अ)

(क) परिचयात्मकः कार्यालय **खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत- नारसन, जनपद- हरिद्वार** के लेखा/अभिलेखों की वर्ष 2014-15 से 2015-16 तक की सम्प्रेक्षा श्री अशोक कुमार, व.ले.प.अ., श्री पी.एल.शर्मा, स.ले.प.अ.,श्री नित्यानन्द सिंह,स.ले.प.अ. एवं श्री सतेन्द्र कुमार, स.ले.प.अ. द्वारा दिनांक 16.09.2016 से 24.09.2016 तक सम्पादित की गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः-

	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0	**प्रस्तर भाग 4(ब)-1**	**प्रस्तर भाग 4(ब)-2**
(i)महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तर			

	प्रतिवेदन संख्या वर्ष	**भाग प्रस्तरों की संख्या**
(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर: -		

(ग) सतत अनियमितताओं की सूची: -

(घ) अप्रस्तुत अभिलेख:-

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 1:- ` 13.50 लाख के अपूर्ण कार्य।

क्षेत्र पंचायत नारसन द्वारा विधायक निधि के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 व 2015-16 में कराये गये निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विभाग को दो कार्यों हेतु ` 8.00 लाख व ` 5.50 लाख की धनराशि आवंटित हुई थी।

कार्यों का विवरण निम्नवत हैः-

(धनराशि (`) लाख में)

क्र.सं.	**कार्य का नाम**	**स्वीकृत धनराशि**	**अवमुक्त/व्यय धनराशि**	**अनुबन्ध सं.**	**ठेकेदार का नाम**
1.	मुण्ड़ाखेड़ा खुर्द के आर.के. कानवेन्ट पब्लिक स्कूल के प्रयोगशाला कक्ष का निर्माण	` 8.00	` 4.72	186 24.02.2016	श्री सुरेश चन्द्र
2.	ग्रा.टाडा भनेड़ा में सरकारी नलकूप से मदीना सम्जिद की ओर सी.सी. सड़क निर्माण	` 5.50	` 4.12	38 23.07.2015	एम.एस. कनस्ट्रक्शन रुड़की
	कुल योग	**` 13.50**	**` 8.84**		

क्र.सं. 1 पर कार्य दिं. 25.02.2016 को प्रारम्भ कर दिं. 24.05.2016 की समाप्त तथा क्र.सं. 2 पर कार्य दिं. 24.07.2015 को प्रारम्भ कर दिं. 23.10.2015 को समाप्त कराने हेतु अनुबन्ध किया गया था। परन्तु लेखापरीक्षा (सितम्बर 2016) तक दोनो कार्य अपूर्ण थे।

लेखपरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि कार्य पूर्ण हो चुके है तथा मूल्यांकन एवं निरीक्षण के उपरान्त भुगतान किया जायेगा। कार्य सं. 2 में विवाद के कारण विलम्भ हुआ है।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि कार्यों की समय सीमा का अनुपालन कराना सक्षम अधिकारी का दायित्व है तथा जिस हेतु सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगें। जबकि कार्य सं. 2 में ग्यारह माह का विलम्ब होने के पश्चात भी अपूर्ण है जबकि अनुबन्ध के अनुसार विलम्ब की अवस्था में अर्थदण्ड़ का भी प्रावधान किया गया था कि कार्यस्थल से पूर्व ही विभाग को यह सुनिश्चित करना था कि कार्यस्थल विवाद से रहित है।

` 13.50 लाख के अपूर्ण कार्यों से सम्बन्धित प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 2(अ):- ` 17.68 लाख की असमायोजित/अवरुद्ध धनराशि।

क्षेत्र पंचायत नारसन द्वारा क्षेत्र पंचायत विकास निधि के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से सम्बन्धित अनुदान पंजिका एवं सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विभाग के पास वर्ष 2013-14 के अन्त तक ` 9,88,618/- अवशेष पड़ थी। वर्ष 2014-15 व 2015-16 में जिला पंचायत राज अधिकारी हरिद्वार से पत्र सं. शून्य दिनांक 15.12.2014 व पत्र सं. 295 दिं. 26.06.2015 व ड्राफ्ट सं. 333048 दिं. 05.12.2014 व ड्राफ्ट सं. 0224334 दिं. 25.06.2015 द्वारा ` 7,23,684/- व ` 7,25,184/- कुल ` 14,48,868/- प्राप्त हुई थी। जिसमें विभाग द्वारा माह जून ` 6,69,688/- की धनराशि का भुगतान एक कार्य के सापेक्ष (` 6,14,342) तथा जमानत राशि (` 55,346) के माध्यम से किया गया था। जून 2014 के पश्चात कुल ` 17,67,798/- की धनराशि विभाग के पास असमायोजित पड़ी थी। जिसमें ` 1,02,712/- की ब्याज की राशि भी सम्मिलित थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि वर्ष 2016-17 में समायोजन के माध्यम से उपयोग कर लिया जायेगा।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि दो से तीन वर्ष से अधिक तक धनराशि का उपयोग न करना वित्तीय नियमों का उल्लंघन है तथा शासकीय धन को अवरुद्ध रखना शासन द्वारा निर्गत आदेशों को उल्लंघंन था।

` 17.68 लाख की असमायोजित धनराशि से सम्बन्धित प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

(ब):- ` 0.25 लाख का असमायोजित अग्रिम।

क्षेत्र पंचायत नारसन की समेकित जलागम प्रबन्धन कार्यक्रम (IWMP) वर्तमान प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विभाग द्वारा वर्ष 2014-15 में 16 कार्यों के सम्पादन हेतु कार्य विभिन्न ग्राम विकास अधिकारी को आवंटित किये गये थे। एक कार्य मकसूद के मकान तक पक्के नाले का निर्माण हेतु स्वीकृत ` 75,800/- के सापेक्ष ` 57,000/- की धनराशि प्रथम किस्त के रुप में आवंटित की गई थी तथा कार्य के सम्पादन हेतु ग्राम विकास अधिकारी श्री सतीश कुमार को चैक सं. 756981 दिंनाक 11.12.2014 द्वारा ` 25,000 का अग्रिम स्वीकृत किया गया था। परन्तु सम्बन्धित ग्रा.विकास अधिकारी द्वारा सितम्बर 2016 तक न कार्य पूर्ति से सम्बन्धित

अभिलेख तथा न अग्रिम का समायोजन प्रस्तुत किया गया था। जिसके कारण एक वर्ष से अधिक होने के पश्चात भी उक्त धनराशि सम्बन्धित ग्रा.वि. अधिकारी के पास असमायियिजित पड़ी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में बताया कि कार्य पर विवाद होने के कारण कार्य प्रारम्भ न हो सका। सम्बन्धित ग्रा.वि.अधिकारी को समायोजित प्रस्तुत करने हेतु अवगत कराया गया है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्यस्थल का निरीक्षण कार्य प्रारम्भ से पूर्व ही किया जाना चाहिए था कि कार्यस्थल विवाद रहित है। तथा कार्य से सम्बन्धित अग्रिम वसूली किया जाना चाहिए था।

` 0.25 लाख के असमायोजित अग्रिम से सम्बन्धित प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

(स):- ` 4,07,555/- की धनराशि विभाग को वापस न करना।

क्षेत्र पंचायत नारसन द्वारा विधायक निधि के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 व 2015-16 में स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विभाग द्वारा स्वीकृत धनराशि में आगणन राशि के सापेक्ष जो कार्य कराये गये है उनमें कार्य पूर्ण हो चुके थे परन्तु कुछ कार्यों में स्वीकृत धनराशि से कम धनराशि व्यय होने के कारण धनराशि ` 4,70,555/- अवशेष के रुप में सम्बनिधित विभाग को वापस/राजकोष में जमा न करने के कारण विभाग के पास पड़ी थी जिसको नियमतः सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना था। परन्तु इकाई द्वारा सम्बन्धित धनराशि विभाग (जिले स्तर) को वापस न कर अपने पास रखी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में बताया कि सम्बन्धित राशि जिले स्तर को वापस करने की कार्यवाही की जा रही है।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि विधायक निधि से प्राप्त धनराशि में पूर्ण कार्यों से शेष धनराशि को प्रत्येक वर्ष सम्बन्धित विभाग को वापस अथवा राजकोष में जमा किया जाना चाहिए था। परन्तु ऐसा न करके विभाग ने दिशा-निर्देशों को उल्लंघन कर धनराशि अवरुद्ध रखी है।

` 4,07,555/- की अवशेष धनराशि को सम्बन्धित विभाग को वापस / राजकोष में जमा न करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग 4(ब)-2</u>

प्रस्तर 3(अ):- वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक विभिन्न खातों से ब्याज के रूप में प्राप्त धनराशि ` 35,18,697/- को राजकोष में जमा न किया जाना ।

उत्तराखंड शासन के पत्रांक संख्या 347/वि॰ आ॰ निदे॰ (तृ॰ रा॰ वि॰ आ॰)/ 2013 दिनांक 17 जनवरी 2013 के अनुसार विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कुल धनराशि एवम उस पर ब्याज के वर्षवार विवरण उपलब्ध कराते हुए ब्याज की धनराशि को राज़कोष में जमा किया जाना चाहिये।

क्षेत्र पंचायत नारसन, जनपद-हरिद्वार के लेखा अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि इकाई को वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक विभिन्न बैंक खातों से ब्याज के रूप में ` 35,18,697/- की धनराशि प्राप्त हुई थी | उक्त धनराशि लेखापरीक्षा की तिथि तक इकाई के खाते में लंबित पड़ी है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि ब्याज की धनराशि को चालान के माध्यम से या नियमानुसार संबन्धित विभाग को वापस करने के पश्चात चालान/पत्र की प्रतिलिपि लेखापरीक्षा को प्रेषित कर दी जायेगी ।

ब्याज के रूप में प्राप्त धनराशि ` 35,18,697/- का इकाई के खाते में लंबित पड़े रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

(ब):- प्राप्तियों से सम्बन्धित धनराशि ` 83,833/- को राजकोष में जमा न करना।

क्षेत्र पंचायत नारसन को विभिन्न स्रोतों जैसे निविदा प्रपत्रों की बिक्री एवं सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि को राजकोष में प्राप्तियों से सम्बन्धित लेखाशीर्षक में जमा 0515 अन्य ग्राम्य विकास, 800 अन्य प्राप्तियाँ मे जमा किया जाना चाहिए था। परन्तु विभाग से सम्बन्धित प्राप्तियों की जांच में पाया गया कि विभाग द्वारा आय के रुप में प्राप्त धनराशि को विभागीय आवश्यकताओं अनुसार कार्यालय हेतु व्यय किया गया है। जबकि इसके पश्चात भी सूचना अधिकारी से प्राप्त ` 880 तथा निविदा प्रपत्रों के क्रय से ` 82,953/- की प्राप्तियाँ विभाग द्वारा राजकोष में जमा नहीं की गयी थी तथा विभाग को प्राप्त कुल राशि ` 1,11,505-27,673/- (व्यय की गई धनराशि) ` 83,833/- विभाग के पास बिना किसी कारण से अनियमित रुप से रखी गयी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि समस्त प्राप्तियाँ जमा करने की कार्यवाही की जा रही है।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि प्राप्तियों को अतिशीघ्र राजकोष में जमा करना अनिवार्य है तथा ऐसी किसी भी धनराशि को विभाग द्वारा न तो लम्बे समय तक न तो जमा किये बिना रखा जा सकता है तथा न ही अन्य मदों पर व्यय किया जा सकता है।

अतः ` 83,833/- की प्राप्तियों को राजकोष में जमा न करने से सम्बन्धित प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1:- इकाई द्वारा त्रुटिपूर्ण वार्षिक वेतन वृद्धि के फलस्वरूप 184/- का अधिक भुगतान किया जाना ।

इकाई के कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि श्री राजकुमार शर्मा, वरिष्ठ सहायक को 01 जनवरी 2016 में त्रुटिपूर्ण वार्षिक वेतन वृद्धि के फलस्वरूप (11600+4200)*3% = `480 की बजाय (11600+4200)*3%= `490 की वार्षिक वेतन वृद्धि दे दी गई जिसके फलस्वरूप उन्हें इकाई द्वारा दिनांक 01/01/2016 से 31/08/20116 तक संलग्नक 'क' के अनुसार `184/- का अधिक भुगतान किया गया |

इसे इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि श्री राजकुमार शर्मा, वरिष्ठ सहायक से सितम्बर 2016 के वेतन से `184/- की वसूली करने के बाद लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जाएगा तथा सही वेतन वृद्धि उनकी सेवा पुस्तिका में अंकित कर दी जायेगी |

`184/- की वसूली से संबन्धित प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है |

<u>भाग-4, अनुभाग (स)</u>

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततांए जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी प्रति खण्ड़ विकास अधिकारी **क्षेत्र पंचायत- नारसन, जनपद- हरिद्वार** को इस आशय से प्रेषित की गयी हैं कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड,वैभव पैलेस,सी-1/105,इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करें।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्था0नि0